न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2017/00140 अपील संख्या 90/2017

1. मनभर देवी पुत्र स्व. रामकरण पत्नी श्री मांगीलाल रैगर जाति रैगर निवासी ग्राम बोराज हाल निवासी कंवरकाबास कालवाड तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
2. मोहरी देवी पुत्री स्व. रामकरण पत्नी कृष्ण चन्द्र रैगर जाति रैगर निवासी बोराज हाल निवासी ग्राम छीतरोली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र रामकरण रैगर जाति रैगर निवासी ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ।
2. नारायण पुत्र रामकरण रैगर जाति रैगर निवासी ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
3. राधेश्याम पुत्र रामकरण रैगर जाति रैगर निवासी ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी मोजमाबाद तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक महोदय मोजमाबाद तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर ।

–रेस्पोंडेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू–अधिनियम 1956 आदेश विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मोजमाबाद तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर दिनांक 10–04–2017 प्रकरण संख्या 17/2017 अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री एन.के. यादव ।
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. श्री चन्द्रशेखर दाधीच, रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 3 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 4 से 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –29.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) मौजमाबाद जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 10.04.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि मांगीलाल, नारायण, राधेश्याम ने अपने पिता स्व. रामकरण जाति रैगर निवासी बोराज द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 29/08/2012 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25/08/2014 राजस्व वाद संख्या 128/2015 न्यायलय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर निर्णय दिनांक 17/01/2017 उनवानी मनभर पुत्री रामकरण वगै0 बनाम मांगीलाल पुत्र रामकरण वगै0 की छाया प्रति के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्व. रामकरण पुत्र भूरा की विरासत का नामान्करण रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार (भू.अ.) मौजमाबाद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.04.2017 द्वारा वसीयत दिनांक 24/08/2012, वसीयत दिनांक 29/08/2012 राजस्व वाद संख्या 128/2015 में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 17/01/2017 का अवलोकन करने एवं सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन करने पर यह निर्णय पारित किया गया कि आपत्तिकत्तियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां बिना साक्ष्य सबूत के होने से निरस्त की जाती है। वसीयत दिनांक 29/08/2012 को अंतिम वसीयत मानने पर कोई आपत्ति नहीं है। वसीयत दिनांक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

29/08/2012 रजिस्टर्ड वसीयत है वसीयत में वर्णित भूमि वसीयतकर्ता स्व. रामकरण पुत्र भूरा कौम रैगर को अलाटमेंट से प्राप्त होने से स्वअर्जित सम्पत्ति है। वसीयत के आधार पर ग्राम चन्द्रभानपुरा के आ. ख. न. 38 रकबा 0.001 हैक्टयर, ख. न. 39 रकबा 1.25 हैक्टयर भूमि किता 2 रकबा 1.26 हैक्टयर भूमि का नामान्तरकरण स्व. रामकरण की विरासत पर मांगीलाल, नारायण, राधेश्याम पि. रामकरण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. तहसीलदार (भू.अ.) तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 10.04.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट मनभर देवी पुत्री स्व0 रामकरण पत्नी श्री मांगीलाल रैगर वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार (भू.अ.) तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर दिनांक 10.04.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम चन्द्रभानपुरा पटवार हल्का बोराज भू अभिलेख निरीक्षक बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर की हाल आराजी खसरा न. 38 रकबा 0.01 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 39 रकबा 1.25 हैक्टेयर के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि उपरोक्त आराजीयात के बाबत उनके नाम वसीयत के आधार पर राजस्व भू अभिलेखो में इन्द्राजात दर्ज किये जावे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करते हुये पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त करते हुये प्रकरण में आम जन की सूचनार्थ राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रसारित करवाकर आपत्ति मांगी गई। जिसके आधार अपीलार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्तिया प्रस्तुत करते हुयें निवदेन किया कि उक्त आराजीयात पैतृक आराजी है तथा उक्त आराजीयात के बाबत राजस्व न्यायालय सहायक कलेक्टर दूदू के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत घोषणा एंव हुक्म इम्तनाही का विचाराधीन है तथा उक्त प्रकरण में मुतदाविया आराजीयात बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की हुई है तथा प्रकरण विरासत से सम्बंधित होने के कारण स्व. रामकरण रैगर की आराजीयात बाबत् विवाद है तथा रामकरण रैगर के पुत्रो ने तथाकथित फर्जी अवैध वसीयत के आधार पर अपना नाम राजस्व भू अभिलेखो में दर्ज करवाना चाहते है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार हासिल नही है तथा उक्त आराजीयात बाबत् विभिन्न वसीयत भिन्न भिन्न दिनांक की होने के कारण पैतृक आराजीयात में रेस्पोडेन्ट को वसीयत के आधार पर कोई हक अधिकार हासिल नही होते हे तथा राज्य स्तरीय समाचार पत्र में भी तथ्यो को छिपाते हुये अवैध दिनांक की वसीयत बाबत् विज्ञापन जारी किया हुआ है जिसको पुनः जारी करते हुये आपत्ति तलब की जावे तथा दौराने नियमित राजस्व वाद उक्त संक्षिप्त कार्यवाही को स्थगित किया जावे किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मिन अपीलार्थीगण की आपत्तियो को साक्ष्य के अभाव में निरस्त करते हुये अन्तिम वसीयत दिनांक 29–08–2012 के आधार पर रेस्पोडेन्टान के नाम रामकरण की विरासत तस्दीक किया जाना उचित प्रतित होने के कथनात अपीलाधीन आदेश में दर्ज करते हुये अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के साथ आपत्तिया प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि प्रकरण अधीन आराजीयात बाबत् एक नियमित वाद विचाराधीन है। जिसमें स्व. रामकरण की विरासत बाबत हक अधिकार नियममित वाद के माध्यम से उभय पक्षकारान के साक्ष्य सहादत सबुत लेकर ही निर्णित किये जा सकते है उक्त संक्षिप्त कार्यवाही में किसी भी अवस्था में किसी भी पक्षकार के हक अधिकार निर्णित नही किये जा सकते किन्तु उक्त तमाम आधारो की अन्देखी करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। यह कि विधि की मंशा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को वसीयत के आधार पर अपने हक अधिकार विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करते हुये प्रभावी पक्षकारान की साक्ष्य समर्थन एंव सुनवाई का अवसर प्रदत्त करते हुये निर्णित

संभागीय आयुक्त

करने का कानूनी प्रावधान है क्योकि वसीयत के आधार पर जो भी व्यक्ति पैतृक आराजी में कोई हक अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो उसको वसीयत में उपस्थित गवाहो में से कम से कम एक गवाह की उपस्थिति न्यायालय के समक्ष वसीयत को साबित करने के लिये साक्ष्य करवाया जाना कानूनी आवश्यकीय होता है। प्रस्तुत प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की पूर्णत अपालना करते हुये तथा भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 63 के आधार पर प्रकरण को निर्णित किये जाने का कानूनी प्रावधान है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित वसीयत में उपस्थित किसी भी गवाह की साक्ष्य प्राप्त नही की गई तथा ना ही क्लेम प्राप्तकर्ता द्वारा वसीयत में उपस्थित किसी भी गवाह की साक्ष्य सबूत करवाते हुये साक्ष्य ही करवाई गई इसलिये किसी भी अवस्था में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो की पालना नही कर अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष क्रमश रेस्पोडेन्टान द्वारा दो वसीयत प्रस्तुत की गई प्रथम वसीयत दिनांक 24–08–2012 जिसमें वसीयतकर्ता की तीन पुत्रीया दर्शाई गई तथा उक्त वसीयत में गवाह तथाकथित छीतर व राजूलाल दर्ज किये गये जो उस गांव के निवासी नही होकर काफी दूर के व्यक्ति है तथा उक्त वसीयत में आराजी खसरा नम्बर 38, 1308, 2189, 2202, कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर दर्शाते हुये रेस्पोडेन्टान के पक्ष में प्रथम वसीयत की गई तथा द्वितीय वसीयत दिनांक 28–06–2012 को आराजी खसरा नम्बर 38 व 39 कल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर के बाबत् तस्दीक व तकमील की गई तथा उक्त द्वितीय वसीयत में तथाकथित गवाह भगवान सहाय व बालूराम दर्ज किये किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत में दर्ज किसी भी गवाह की कोई साक्ष्य शहादत सबूत ग्रहण नही की गई तथा ना ही रेस्पोडेन्टान द्वारा उक्त गवाहो की साक्ष्य ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर तथाथित वसीयत साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के बाध्यकारी प्रावधानो के विपरीत जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण विवादित के आधार पर भी विधि की मंशा के अनुसार पूर्णतः अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। यह कि विधि की मंशा के अनुसार जहाँ वसीयत बाबत् प्रक्रिया विवादित हो तथा प्रकरण विधिक वारिसान से सम्बंधित विरासत का मामला हो वहाँ वसीयत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सक्षम व्यवहार न्यायालय में प्रोबेट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये अपने हक अधिकार तय करवाने सम्बधित कानूनी प्रावधान है। किन्तु प्रकरण विवादित होने के पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की मशा के विपरीत जाकर अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो कि पूर्णत अवैध होने की वहज से निरस्तनीय है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के पश्चात् राजस्थान पत्रिका दिनांक 15–03–2017 को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञाप्ती में वसीयत के निष्पादन की दिनांक भी 28–08–2012 जानबुझ कर तस्दीक करवाई गई जबकि दिनांक 28–08–2012 की पत्रावली में कोई वसीयत उपलब्ध नही है उक्त आपत्ति भी अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दर्ज करवाई गई थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति को केवल मात्र यह कहते हुये खारिज कर दिया गया कि उक्त लिपिकीय त्रुटी के कारण दर्ज हो गई है। जिसका कोई कानूनी महत्व नही है। विधि की मशा के अनुसार जिस तथाथित वसीयत का निष्पादन होना है। उक्त तथाकथित वसीयत की दिनांक ही प्रकाशन में होने वाले दस्तावेज की दिनांक से भिन्न हो तो उक्त प्रकाशित सूचना अपने आप में ही शून्य माने जाने का कानूनी प्रावधान है किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यो की अनदेखी करते हुये अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी बखूबी साबित था कि पक्षकारान के मध्य मुतदाविया आराजीयात बाबत् एक नियमित वाद सक्षम न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक दूदू के समक्ष विचाराधीन है। तथा उक्त प्रकरण का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवलोकन किये जाने के तथ्य भी अपने अपीलाधीन आदेश में अवश्य दर्ज किये है किन्तु अपने अपीलाधीन आदेश में यह कही भी दर्ज नही किया गया कि उक्त नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुये अधिनस्थ न्यायालय को किस विधि के तहत निर्णय पारित करने का हक अधिकार है। और केवल मात्र अपने अपीलाधीन आदेश

में यह दर्ज करना की आपत्ति कर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तिया साक्ष्य सबूत के अभाव में निरस्त किये जाने का अवैध अभिवचन दर्ज करते हुयें अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। यह कि विधि की मंशा के अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही एक सक्षिप्त कार्यवाही है उक्त कार्यवाह के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी हक अधिकार हासिल नही हो सकते है। किसी भी व्यक्ति को विवाद की स्थिति में नियमित वाद के माध्यम से ही तय करवाने का कानूनी प्रावधान है नामान्तकरण जैसी सक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से कोई स्वत्व (टाईटल) प्राप्त नही कर सकता। माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा यह विधि स्थापित की जा चुकी है कि :–

question of title can not be decided in the mutation proceeding. जैसे 2016 आर आर टी पेज 1051, 1139, 2011 आर आर टी पेज 171, 2016 (3) सी जे सिविल पेज 833 (एस सी)

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.04.2017 को खारिज फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 3 के अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया हम रेस्पोडेन्ट मांगीलाल, नारायण, राधेश्याम ने अपने पिता स्व. रामकरण जाति रैगर निवासी बोराज द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 29/08/2012 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25/08/2014 राजस्व वाद संख्या 128/2015 न्यायलय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर निर्णय दिनांक 17/01/2017 उनवानी मनभर पुत्री रामकरण वगै0 बनाम मांगीलाल पुत्र रामकरण वगै0 की छाया प्रति के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्व. रामकरण पुत्र भूरा की विरासत का नामान्करण रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार (भू.अ.) मौजमाबाद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.04.2017 द्वारा वसीयत दिनांक 24/08/2012, वसीयत दिनांक 29/08/2012 राजस्व वाद संख्या 128/2015 में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 17/01/2017 का अवलोकन करने एवं सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन करने पर यह निर्णय पारित किया गया कि आपत्तिकत्तियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां बिना साक्ष्य सबूत के होने से निरस्त की जाती है। वसीयत दिनांक 29/08/2012 को अंतिम वसीयत मानने पर कोई आपत्ति नहीं है। वसीयत दिनांक 29/08/2012 रजिस्टर्ड वसीयत है वसीयत में वर्णित भूमि वसीयतकर्ता स्व. रामकरण पुत्र भूरा कौम रैगर को अलाटमेंट से प्राप्त होने से स्वअर्जित सम्पत्ति है। वसीयत के आधार पर ग्राम चन्द्रभानपुरा के आ. ख. न. 38 रकबा 0.001 हैक्टयर, ख. न. 39 रकबा 1.25 हैक्टयर भूमि किता 2 रकबा 1.26 हैक्टयर भूमि का नामान्तरकरण स्व. रामकरण की विरासत पर मांगीलाल, नारायण, राधेश्याम पि. रामकरण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर द्वारा जो निर्णय दिनांक 10. 04.2017 पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद वसीयत में वर्णित भूमि ख.नं. 38 रकबा 0.01 हैक्टे0, ख.नं. 39 रकबा 1.25 हैक्टे0 भूमि किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि ग्राम सुरपुरा वर्तमान में ग्राम चन्द्रभानपुरा थी। जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 92 में रामकरण पुत्र भूरा कौम रैगर सा. देह के नाम दर्ज है। ग्राम चन्द्रभानपुरा ग्राम सुरपुरा से नवसृजित ग्राम है। मृतक रामकरण द्वारा उसके पुत्र मांगीलाल, नारायण, राधेश्याम के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 29.08.2012 को लेकर है। जिस पर न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) मौजमाबाद जिला जयपुर ने प्रकरण को

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 135(2) के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर पटवारी हल्का बोराज की रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार वसीयत में वर्णित भूमि ख.नं. 38 रकबा 0.01 हैक्टे0, ख.नं. 39 रकबा 1.25 हैक्टे0 भूमि किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि ग्राम सुरपुरा वर्तमान में ग्राम चन्द्रभानपुरा थी। जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 92 में रामकरण पुत्र भूरा कौम रैगर सा. देह के नाम दर्ज है। ग्राम चन्द्रभानपुरा ग्राम सुरपुरा से नवसृजित ग्राम है। प्रकरण में आमजन के सूचनार्थ राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई जो राजस्थान पत्रिका दिनांक 15.03.2017 के पृष्ठ संख्या 13 पर प्रकाशित हुई जिसमें आमजन से इस वसीयत के संबंध में दावा/आपत्ति चाहे गये। तहसीलदार (भू.अ.) तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 10.04.2017 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि "वसीयत दिनांक 24.08.2012, वसीयत दिनांक 29.08.2012 राजस्व वाद संख्या 128/2015 में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 17.01.2017 का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन करने पर इस निर्णय पहुंचतें है कि आपत्तिकर्तियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां बिना साक्ष्य सबूत के होने से निरस्त की जाती है। वसीयत दिनांक 29.08.2012 को अंतिम वसीयत मानने पर कोई आपत्ति नहीं है। वसीयत दिनांक 29.08.2012 रजिस्टर्ड वसीयत है, वसीयत में वर्णित भूमी वसीयतकर्ता स्व0 रामकरण पुत्र भूरा कौम रैगर को अलाटमेंट से प्राप्त होने से स्वअर्जित सम्पत्ति है। वसीयत के आधार पर ग्राम चन्द्रभानपुरा के आराजी ख.नं. 38 रकबा 0.01 हैक्टेयर, ख.नं. 39 रकबा 1.25 हैक्टेयर भूमि किता 2 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण स्व. रामकरण की विरासत पर मांगीलाल, नारायण, राधेश्याम पि0 रामकरण के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है। इस प्रकार न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट, साक्ष्य सबूत एवं मृतक के विधिक वारिसान की जांच की जाकर, मृतक मृतक रामकरण द्वारा उसके पुत्र मांगीलाल, नारायण, राधेश्याम के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 29.08.2012 के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तरकरण मांगीलाल, नारायण, राधेश्याम पिता रामकरण के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 10.04.2017 द्वारा पारित किया गया है। हमारा विनम्र मत है कि तहसीलदार मौजमाबाद ने पटवारी हल्का मण्डल–बोराज तहसील मौजमाबाद की रिपोर्ट दिनांक 07.02.2017 का अवलोकन नहीं किया गया है। जिसमें पटवारी हल्का बोराज ने अंकित किया गया है कि विवादित भूमि नामान्तरकरण संख्या 483 दिनांक 4.10.77 के अनुसार रामकरण पुत्र भूरा कौम रैगर सा. देह गैर खातेदार से खातेदारी दर्ज हुई है। जिससे उपरोक्त भूमि रामकरण वल्द भूरा के स्वंय के नाम से आंवटन होना साबित होता है। माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू के राजस्व वाद पत्र सं. 128/2015 में निर्णय दिनांक 17.01.2017 मनभरी पुत्री रामकरण वगै0 बनाम मांगीलाल वगै0 में निर्णय निर्णय दिनांक 17.1.17 के अनुसार प्रश्नगत भूमि ख0नं0 38 व 39 को स्व. रामकरण की स्वअर्जित (आंवटन शुदा) आराजीयात साबित होने व वसीयत निष्पादित करने का पूर्ण विधिक अधिकारी माना गया है। रामकरण पुत्र भूरा का सजरा का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

स्व0 रामकरण पुत्र भूरा

मांगीलाल (पुत्र)	नारायण (पुत्र)	राधेश्याम (पुत्र)	मनभर (पुत्री)	मोहरी (पुत्री)	प्रभाती (पत्नी)

हमारा विनम्र मत है कि उपरोक्त दस्तावेजों से जाहिर था कि मनभर देवी व मोहरी देवी पुत्री स्व. रामकरण की जायन्दा पुत्री है, जबकि अपीलान्ट मनभर देवी व मोहरी देवी की जायन्दा पुत्री होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रथम श्रेणी की वारिस है। और अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है। मृतक रामकरण को विवादित भूमि को पैतृक कब्जे

के आधार पर आंवटित हुई थी। जिसे स्वअर्जित नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील मौजमाबाद ने प्रकरण के विधिक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये मृतक खातेदार रामकरण की जायन्दा पुत्री अपीलान्ट मनभरी देवी, मोहरी देवी के अधिकारों की अनदेखी की है जबकि अपीलान्ट हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में रामकरण की जायन्दा पुत्री होने से विधिक वारिस है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर के आदेश दिनांक 10.04.2017 उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं। नामान्तरकरण एक fiscal proceeding हैं, जिसमें अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2017 पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 10.04.2017 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार तहसील मौजमाबाद को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम चन्द्रभानपुरा के आ.ख.38 रकबा 0.01 हैक्टेयर, ख.नं. 39 रकबा 1.25 हैक्टेयर भूमि किता 2 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण स्व. रामकरण की विरासत पर स्व. रामकरण के विधिक वारिसान के नाम दर्ज किया जावे।

(डॉ. अरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर